ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBBIL/2014/66218 PP. NO.- 24-27
ISSN NO.-2347-2944
Vol-12, Issues-XII YEAR 2018 Extra

आर्थिक सुधार व कृषि विकास

अशोक कुमार श्रीवास्तव
एसोसिएट प्रोफेसर, अधिष्ठाता एवं अध्यक्ष, वाणिज्य संकाय,श्री मु0म0टा0पी0जी0 कालेज, बलिया (उ0प्र0) भारत

Received- 01.05.2018, Revised- 06.05.2018, Accepted - 14.05.2018 E-mail: tanishkshekhar@gmail.com

सारांश : **आर्थिक विकास एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप वास्तविक राष्ट्रीय आय उत्पादन अथवा प्रति व्यक्ति वास्तविक आय अथवा जन सामान्य के आर्थिक कल्याण में दीर्घकालीन वृद्धि होती है। किसी देश द्वारा अपनी वास्तविक आय को बढ़ाने के लिए सभी उत्पादक संसाधनो का कुशलतम प्रयोग करना आर्थिक विकास कहलाता है। पूँजी, प्राकृतिक संसाधन, विदेशी सहायता और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण अंशदान करते हैं लेकिन जनशक्ति की कोई भी बराबरी नहीं कर सकता है।**

भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत के कृषि क्षेत्र में खाद्यानों का स्थान सर्वोपरि है। यह वह आधार है जिस पर केवल कृषि क्षेत्र ही बस, सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था का चक्र घूमता है। खाद्यानों का पर्याप्त उत्पादन जहां एक ओर मानव की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वहीं दूसरी ओर देश की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थायित्व एवं समृद्धि के लिए भी आवश्यक है।

सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने का स्रोत, राष्ट्रीय आय का मुख्य साधन, उद्योगों का मूलाधार, खाद्यानों की पूर्ति, राजस्व, विदेशी व्यापार में महत्व, कृषि पशुपालन में सहयोग, अन्तर्राष्ट्रीय जगत में महत्वपूर्ण स्थान सरकार के बजट पर प्रभाव आदि कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान की पुष्टि करते हैं।

कुंजी शब्द – पूंजी, संसाधन, जनशक्ति, आर्थिक कल्याण, स्थायित्व, समृद्धि, राजस्व, अंशदान, कुशलतम।

आर्थिक विकास और मानवीय संसाधन परस्पर एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध हैं। उन्हें प्रायः एक दूसरे का पूरक माना जाता है। आर्थिक विकास का उद्देश्य मनुष्य के जीवन स्तर को ऊँचा उठाना है आर्थिक विकास स्वयं मनुष्य के प्रयासों का प्रतिफल है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि किसी देश का आर्थिक विकास एक बहुत बड़ी सीमा तक देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों और पूँजी की मात्रा पर निर्भर करता है, किन्तु मानवीय संसाधन वह शक्ति है जो इसे भौतिक साधनों को गति प्रदान करती है। नये–नये आविष्कार, उद्योगों की स्थापना, सागर पर विजय, नदियों के तेज प्रवाह को नियंत्रित करने वाले ऊँचे– ऊँचे विशालकाय बांध और पृथ्वी के गर्भ से निरन्तर निकाली जा रही खनिज सम्पदा मनुष्य के साहस और प्रयत्नों का ही प्रतिफल है। जैसा रिचार्ड टी गिल ने कहा भी है–

"Economic Development is not a mechanical process. It is a human enterprise and like all human enterprises, its outcome will depend finally on the skill, quality and attitudes of the men who under take it. "

कृषि भारत की आत्मा है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। यही हमारी जीवन पद्धति एवं जीवन शैली है। कृषि प्रधान देश भारत में कृषि इसके जीवन के रग–रग में घुली हुई है। इसे हटाकर भारत की कल्पना भी सम्भव नहीं है, क्योंकि भारत की अधिकतम जनसंख्या का जीवन इसी पर आधारित है।

भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू करने के साथ ही साथ आर्थिक नियोजन का कार्यक्रम शुरू किया गया था, उस समय कृषि विकास के बारे में कोई स्पष्ट व्यूह रचना (नीति) नहीं अपनाई गई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक अर्थव्यवस्था की तत्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परम्परागत तकनीकों व निपुणताओं के अपयोग पर बल दिया गया था। कृषि विकास की उत्पादक क्षमता बढ़ाने के लिए सिचाई के विस्तार, कृषि प्रसार और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को लागू किया था। लेकिन ये उपाय कृषि उत्पाद में वृद्धि कर पाने में विफल रहे।

नौवी योजना में कृषि उत्पादन की उपलब्धियां–सन्दर्भित आंकड़ों में 2007–12 तथा 2012–17 एवं 2017–22 में तथ्यों के सापेक्ष में परिवर्तन हुए हैं।

फसल	1989–90 लाख टन	मिलियनटन 2000 – 01
धान	737	91.0
गेहूँ	498	73.1
अन्य अनाज	348	31.9
दाले	129	13.2
खाद्यान्न	1710	209.2
मुख्य तिलहन	169	21.7
गन्ना	2256	299.2

अनुरूपी लेखक

नौवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादों की प्रतिवर्ष वृद्धि का लक्ष्य 4.5 प्रतिशत रखा गया है। इसके अनुसार 2001–02 तक 23 करोड़ 40 लाख टन खाद्यान पैदा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। वर्ष 1997–98 व 2000–2001 में खाद्यान उत्पादन क्रमशः 1922.58 लाख टन एवं 209.2 मिलियन टन रहा। खाद्यानों में गेहूँ का उत्पादन 2000–2001 में 685.5 लाख टन तथा दालों का उत्पादन 117.2 लाख टन हो गया जो उसके पिछले वर्ष से 133.5 लाख टन अधिक है। मोटे अनाजों का उत्पादन 2000–2001 में 303.5 लाख टन था जबकि धान का उत्पादन 855.00 लाख टन पर पहुँच गया था।

प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2018–19 में प्रमुख कृषि फसलों का उत्पादन परिदृश्य देश में 2018 के दौरान खरीफ खाद्यान्न का उत्पादन 2017 के दौरान खरीफ खाद्यान्न के 140.73 मिलियन टन (चौथा अग्रिम अनुमान) उत्पादन की तुलना में 141.59 मिलियन टन (प्रथम अग्रिम अनुमान) प्राक्कलित किया गया है, जो कि 0. 86 मिलियन टन अधिक है । इसके अतिरिक्त खरीफ खाद्यान्न का उत्पादन पिछले पांच वर्षों (2012–13 से 2016–17) के 129.65 मिलियन टन औसत उत्पादन से 11. 94 मिलियन टन अधिक है ।

1. खरीफ चावल का कुल प्राक्कलित उत्पादन 99.24 मिलियन टन है। यह पिछले वर्ष के 97.50 मिलियन टन उत्पादन से 1.74 मिलियन टन अधिक है । इसके अतिरिक्त पिछले पांच वर्षों के दौरान खरीफ चावल के औसत उत्पादन से 6.64 मिलियन टन अधिक है।

2. देश में पौष्टिक/ दानेदार अनाज का कुल उत्पादन 2017–18 में हुए 33.89 मिलियन टन के कुल उत्पादन से घट कर 33.13 मिलियन टन हो गया है । मक्का का उत्पादन 21.47 मिलियन टन होने की आशा है जो कि पिछले वर्ष के 20.24 मिलियन टन उत्पादन से 1.23 मिलियन टन अधिक है । इतना ही नहीं पिछले पांच वर्षों के दौरान हुए मक्का उत्पादन से 4.40 मिलियन टन अधिक है

3. खरीफ दालों का कुल प्राक्कलित उत्पादन 9.22 मिलियन टन है जो कि पिछले वर्ष के कुल 9.34 मिलियन टन उत्पादन से 0.12 मिलियन टन कम है । यद्यपि खरीफ फसलों का प्राक्कलित उत्पादन पिछले पांच वर्षों के औसत उत्पादन से 2.67 मिलियन टन अधिक है ।

4. देश में खरीफ तिलहन का कुल प्राक्कलित उत्पादन 2017–18 के दौरान 21.00 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में 22.19 मिलियन टन है, यानी 1.19 मिलियन टन की बढ़ोतरी है । साथ ही यह उत्पादन पिछले पांच वर्षों के औसत उत्पादन से 2.02 मिलियन टन अधिक है ।

5. ईख का प्राक्कलित उत्पादन 383.89 मिलियन टन है जो कि पिछले वर्ष के 376.90 मिलियन टन के उत्पादन से 6. 99 मिलियन टन अधिक है । साथ ही यह उत्पादन पिछले पांच वर्षों के दौरान हुए औसत उत्पादन से 41.85 मिलियन टन अधिक है ।

6. कपास का प्राक्कलित उत्पादन 32.48 मिलियन गठ्ठे (प्रत्येक गठ्ठा 170 किलोग्राम का) है एवं पटसन व मेस्ता का उत्पादन 10.17 मिलियन टन गठ्ठे (प्रत्येक गठ्ठा 180 किलोग्राम का) है ।

भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के मुख्य कारण है–

प्राकृतिक आपदा, दोषपूर्ण कृषि प्रणाली, भूमि का कटाव, भूमि का उप विभाजन एवं उपखण्डन, साधनों का अभाव भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक भार, सिंचाई साधनों का अभाव, बिक्री की सुविधाओं का अभाव, साख सुविधाओं का अभाव इन कारणों का निवारण करके हमारे देष में कृषि का विकास किया जा सकता है। इसके उपाय के रूप में कृषि मजदूरों एवं छोटे कृषकों की समस्याओं पर ध्यान दिया जाना, कृषि साधनों का विस्तार, भूमि कटाव को रोकना, पौधों की रक्षा, सहकारी कृषि समितियों का विकास, सहकारी बिक्री समितियों की सफलता, भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया जाना, कृषकों की जोखिमों को कम किया जाना, निर्माण कार्यों का विस्तार, सूखी खेती की विधियों को अपनाना, कृषकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन, मिश्रित खेती, वैज्ञानिक कृषि, जनसंख्या का दबाव कम किया जाना, बाढ़ नियंत्रण आदि प्रयोग में लाया जाय तो विकसित भारत का स्वप्न साकार हो सकता है।

नोबल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के शोध से प्रेरणा लेकर ही शायद यूरोपीय संघ, उनके सिद्धान्तों का इस्तेमाल करते हुए, अपनी कुख्यात सांझा कृषि नीति में सुधार कर रहा है लेकिन ज्ञातव्य है कि सेन का हकदारी सिद्धान्त जहां भोजन से जुड़े सामाजिक आर्थिक सिद्धान्तों पर केन्द्रित है वहीं यूरोपीय संघ साझा कृषि नीति में हकदारी सिद्धान्त का इस्तेमाल यूरोप की छोटी सी किसान आबादी को दिये जा रहे अपार सब्सिडी को संरक्षित करने के लिए करता है। वहां जो सब्सिडी मिलती थी वह उसकी व्यक्तिगत हकदारी मानी जायेगी। साझा कृषि नीति में सुधारों की प्रकिया 2003 से शुरू हुई थी और 2005 से इन्हें अमल में लाया जाना है। इन सुधारों के जरिये यह सुनिश्चित करने का षडयंत्र रचा जा रहा है कि यूरोप के कृषि उत्पादकों को दी जा रही सब्सिडी के कुल स्तर में परिवर्तन न होने पाये। 2001–2002 के संदर्भ वर्ष में एक किसानों को सब्सिडी प्राप्त करने का अधिकार होगा। शर्त केवल इतनी होगी कि उसे अपनी जमीन अपने पास ही रखनी होगी। यदि वह अपनी जमीन का कोई हिस्सा किसी दूसरे

किसान को बेचता है या पट्टे पर देता है तो खरीददार किसान को जमीन के अनुपात में सब्सिडी लेने का हक होगा।

इन सब्सिडियों पर अंकुष लगाने का अधिकार विश्व व्यापार संगठन को नहीं के बराबर होगा। बड़ी चतुराई के साथ यूरोपीय संघ ने अपने किसानों को दी जा रही सब्सिडी का ब्लू बाक्स श्रेणी (जिनमें कटौती की अपेक्षा है) हटाकर ग्रीन बाक्स श्रेणी (जिनमें कटौती अनिवार्य नहीं) में डाल दिया। ब्लू बाक्स श्रेणी की सब्सिडियों में भी कटौती टालने के लिए हाल में मंजूर की गयी, एक व्यवस्था के अन्तर्गत चोर दरवाजे ढूंढ लिये गये है। मिसाल के तौर पर प्रजनन के उद्देश्य से कैरिबियाई देशों को (भारत को भी) सप्लाई किये जाने वाले विशुद्ध प्रजाति के खरगोश पर 60 यूरो की सब्सिडी दी जाती है।

विडम्बना यह है कि सब्सिडी का लाभ सभी किसानों तक नहीं पहुँचता है। इसका ढांचा इस प्रकार तैयार किया गया है कि इससे उन्हीं क्षेत्रों को फायदा मिलता है जिनके साथ यूरोपीय संघ के देशों के वाणिज्यिक हित जुडे हुए हैं इसीलिए गोमांस और गोबंश मांस के मामले में ज्यादा सीधा भुगतान होता है जबकि मुर्गी और सुअर पालकों को ऐसा समर्थन नहीं मिलता है। गोमांस का उदाहरण लें। यूरोपीय संघ की निजी डेयरी फार्मरों को सब्सिडी सभी हकदारी पात्रता हासिल करने के लिए बैल पालने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। बैल, इसलिए क्योंकि सरकार को बूचड़खाना के हितों की भी रक्षा करनी थी।

सुधारों के तहत किसी डेयरी किसान के सब्सिडी हकदारी के लिए किसी बैल की कुर्बानी नहीं देनी है। उसे केवल चारागाह की जरूरत है दूध और दूध उत्पादों के लिए भी बड़े पैमाने पर सब्सिडी दी जाती है। दूध सब्सिडी का बड़ा हिस्सा स्किन्ड पाउडर और आइसक्रीम जैसे उत्पाद बनोन वाले दूध के खुदरा व्यापारियों को जाता था। सुधारों के तहत मध्यवर्ती मूल्यों में कमी की जायेगी जिससे दूध और दूध उत्पादकों के घरेलू दाम कम होंगे इसका नतीजा यह होगा कि मक्खन रहित दूध का उत्पादन घटेगा लेकिन विश्व स्तर पर दामों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं होगी डेयरी किसानों के लिए सब्सिडी कायम रहेगी लेकिन उसका आधार गायों की संख्या न होकर किसानों के पास मौजूद चारागाह का क्षेत्रफल होगा। सब्सिडी की हकदारी के लिए दूध के कुल कोटे में 2013 तक बढ़ोत्तरी नहीं होगी और इसलिए सुधार प्रक्रिया से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा।

उदारीकरण के दौरान कृषि की विकास दर घट गयी इसका प्रभाव अपने देश के घरेलू बाजार पर पड़ रहा है इससे औद्योगिक रोजगार के अवसर भी कम हो रहे हैं। वर्ल्ड वाच इंस्टीट्यूट ने आशंका व्यक्त की है कि कृषि की वर्तमान स्थिति में यदि सुधार नहीं किया गया तो भारत की खाद्यान मांग वर्ष 2030 में 2600 से 2640 लाख टन के बीच होगी। तब हमारे देश में अपने लोगों को पर्याप्त खाद्य सुरक्षा उपलब्ध नहीं हो पायेगी। इस समय अपने देश में 20 करोड़ टन खाद्यान का उत्पादन होता है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। हांलाकि नयी कृषि नीति में घोषणा की गयी है समूचे कृषि उत्पादों को दुगुना किया जायेगा नीजि क्षेत्र का अधिक सहयोग लिया जायेगा परन्तु लगता नहीं कि इसमें सफलता मिलेगी क्योंकि विश्व व्यापार संगठन की नीति हमारी कृषि नीति के अनुकूल नहीं है।

भारत में आज भी 64 प्रतिशत लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि ही है। कृषि के क्षेत्र में विकास प्रयत्नों का विवरण निम्नवत् हैः–

1. सम्पूर्ण देश में राष्ट्रीय बीज निगमों तथा विशाल आकार वाले कृषि फार्मों की स्थापना इस उद्देश्य से की गयी ताकि कृषकों को उन्नत बीज प्रतिवर्ष सरलता से उपलब्ध हो सके।

2. देश की कृषि में रासायनिक खाद के बढ़ते उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में रासायनिक खाद उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है। देश में रासायनिक खाद के कारखाने भी स्थापित किए गये हैं।

3. देश में सिचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया है। देश में अनेक छोटी–बड़ी व मध्यम श्रेणी की नदी घाटी योजनाएं सिंचाई कार्य में सहयोग दे रही हैं। कुछ प्रमुख नदी घाटी योजनाएं हैं। दामोदर नदी घाटी योजना, भाखड़ा, चम्बल परियोजना, मयूराक्षि आदि।

4. भारतीय किसानों की फसलों की रक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा पौध संरक्षण का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

5. सरकार ने कृषकों की छोटे–छोटे खेत टुकड़ों की समस्या की समाधान के लिए देश में चकबंदी कार्यक्रम शुरू किया है। इस व्यवस्था के परिणामस्वरूप खेत के छोटे–छोटे टुकड़ों को एक स्थान पर एकत्रित करने में सहायता प्राप्त हुई है। अब तक देश में लगभग 6.5 लाख हेक्टेयर का कार्य पूर्ण हो चुका है।

6. देश के प्रत्येक राज्य में कृषि विभाग के अन्तर्गत तहसील एवं जिला स्तर पर कृषकों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये हैं इन केन्द्रों को उस क्षेत्र में स्थापित

कृषि महाविद्यालयों से सम्बद्ध किया गया है। ये प्रशिक्षण केन्द्र आधुनिक कृषि तकनीक का प्रशिक्षण कृषकों को प्रदान करते हैं और कृषि में उन्हें नई तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

7. भारत सरकार की ओर से देश में सहकारी कृषि पद्धति को भी प्रोत्साहन दिया गया है देश के विभिन्न प्रदेशों में इस प्रणाली को बहुत अधिक सफलता प्राप्त हुई है।

8. कृषि में अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर पर प्रयोगशालाओं व अनुसंधान संस्थाओं की स्थापना की गयी है ये प्रयोगशालायें और अनुसंधानाशालायें कृषि क्षेत्र में नित्य नये प्रयोग कर रही हैं। देश के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय प्रयासरत है।

9. कृषि जोतों को और अधिक छोटा होने से रोकने के लिए संबंध कानूनों में आवश्यकतानुसार संशोधन किये गये हैं।

10. किसानों को विपणन सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए देश में अनेक ऐसी व्यवस्थायें की गयी हैं जहां किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए अधिक परेशान नहीं होना पड़ता साथ ही उसे अपनी फसल का उचित मूल्य भी मिल जाता है। कृषि मूल्यों में स्थिरता लाने के लिए सरकार की ओर से कृषि लागत एवं मूल्य लागत की स्थापना भी की गयी है।

11. देश में हरित क्रान्ति को प्रोत्साहित करके भारत सरकार ने कृषि उत्पादन बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किया है।

12. किसान क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 1998–99 में वाणिज्य बैंकों एवं क्षेत्रीय बैंको से प्राप्त हाने वाले ऋण को सुसाध्य बनाने के लिए प्रारम्भ की गयी थी इस योजना का कियान्वयन 27 वाणिज्यिक बैंकों और 183 केन्द्रिय सहकारी बैंकों व 144 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से किया जा रहा है।

13. सरकार ने देश में रवी वर्ष 1999–2000 राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना नामक नई योजना शुरू की गयी है। यह योजना पहले से चल रही है। सी0सी0आई0एस0 के स्थान पर लागू की गई है। इस योजना का उद्देश्य सूखे, बाढ़, ओला वृष्टि, चक्रवात, आग, कीट बीमारियां जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल की हुई क्षति से किसानों का संरक्षण करना है ताकि आगामी मौसम में उनकी ऋण का साख बहाल हो सके।

भारत में परम्परागत कृषि की उपेक्षा कर विदेशी तकनीक को अपनाया जा रहा है। इस प्रक्रिया में रासायनिक खादों और कीटनाशक दवाओं के उपयोग के साथ–साथ विदेशी बीजों का इस्तेमाल किया जाता है यह पद्धति देशी बीजों पर जैव खेती से काफी भिन्न है। परम्परागत तकनीक के जरिये सैकड़ों वर्षों की खेती के बावजूद मिट्टी का प्राकृतिक उपजाऊपन बरकरार रहता था। इसके ठीक विपरीत अधिक उत्पादन के लिए रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाओं के अत्यधिक उपयोग से लगभग तीन दशकों में ही मिट्टी जवाब देने लगी है ऐसी कृषि से उपजे खतरनाक उदाहरण ब्राजील और मैक्सिकों में देखे जा सकते हैं। जहां भूमि बंजर एवं अन–उपजाऊ बन गयी है। भारतीय कृषि को उन्नत करने के लिए परम्परागत कृषि का आधुनीकीकरण आवश्यक है अन्यथा समस्या का समाधान सम्भव नहीं है। उत्पादन वृद्धि के साथ–साथ कृषि के प्रति फिर से वही गहरा भावनात्मक सम्बन्ध स्थापित किये जाने की आवश्यकता है जो सभी कृषि संबंधी समस्याओं को दूर करने में सक्षम एवं समर्थ हो सके। हम भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर अपनी खोई सांस्कृतिक विरासत को प्राप्त कर सकते हैं। विकसित भारत का मुख्य आधार कृषि ही हो सकती है। अतः इसके विकास के लिए हम सबको अपना पूर्ण प्रयास करना चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Agrwal, A.N.: Indian Economy.
2. Dutta, R. Sundaram : Indian Economy.
3. Mishra, S.K. and Purim : Indian Economy.
4. Sundaram & Black: International Business Environment.
5. Khan, Faruque, A.: Environment & Business Society.

*****